न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–162/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/163)

1. श्रीमती नन्दू पत्नि देवीलाल, जाति गर्जर, निवासी ग्राम–चावण्डिया, ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. श्री दूदा पुत्र देवीलाल जाति गर्जर, निवासी ग्राम चावण्डिया ग्राम पंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री भैरू पुत्र श्री लादू, जाति गर्जर, निवासी ग्राम चावण्डिया ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेन्ट

2. श्री मादू पुत्र देवीलाल जाति गर्जर, निवासी ग्राम चावण्डिया ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला ब्यावर।
4. उप–पंजीयक, मसूदा तहसील जिला ब्यावर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 174/2023 (2023/389)

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री नृसिंह रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः–08.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 174/2023 (2023/389) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को दिनांक 17.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 03 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद हाजिर नहीं हुए। पत्रावली वास्ते तामिली आदेश हेतु दिनांक 03.04.2024 को नियत की गई। दिनांक 03.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 01से 03 उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वाद पत्र पर बहस सुनी जाकर वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, मसूदा को तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 18.04.2024 नियत की गई। दिनांक 18.04.2024 को पी.ओ. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली में दिनांक 03.05.2024 नियत की गई। दिनांक 03.05.2024 को वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हुयी। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2024 को हुयी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने लगा। तब दिनांक 12.07.2024 को अभिभाषक से सम्पर्क कर, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । जिस पर दिनांक 15.07.2024 को आदेश की प्रतिलिपि एवं तामील नोटिस की प्रति दिनांक 19.07.2024 प्राप्त होने पर अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण को कोई दोष या लापरवाही नहीं है उपरोक्त वर्णित कारण देरी सद्भावी होने के कारण क्षमा किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद की जावें।

4. तत्पश्चात विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी वाकै ग्राम चावण्डिया तहसील मसूदा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात है। वादी बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य काफी वर्षो से बाहमी बंटवार होकर आराजी को वादी द्वारा विकसित किया गया, जो आराजी का मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य काफी वर्षो से बाहमी बंटवारा होकर आराजी खसरा नम्बर 1196 एवं 1312 को वादीगण के पक्ष में रखा गया शेष आराजी को संयुक्त रखा गया, जिसको विकसित किया गया है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विश्लेषण किये, अपीलांट की तामिल प्रक्रिया एवं सुनवाई एवं साक्ष्य अभिलेख पर लिए बिना उक्त प्रकरण में उनके द्वारा तो अति संक्षिप्त तौर बिना ज्यूडिशल माईन्ड अप्लाई किये बगैर ही आक्षेपित आदेश केवल मात्र कयास, भावनात्मक आधारों पर पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कानून की मंशा एवं राजस्व अभिलेख के विपरीत पारित किया गया है क्योंकि प्रकरण में ना तो जवाब दावा प्राप्त किया तथा बिना तनकीवार निर्णय पारित किया गया। जो मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के द्वारा प्रतिपादित निम्न न्यायिक दृष्टांट के विपरीत है: 2016(1) आर.आर.टी.पेज 277– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 224–"आदेश 05 नियम 20 की बिना पालना किये प्रकरण का निर्णय किया गया" तथा एक अन्य यायिक दृष्टांत 2016(2)आर.आर.टी. पेज 1147 के पैरा संख्या 04 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि" न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित तर्क सहित होना चाहिए, अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिए, साथ ही विधि द्वारा सुस्थपित स्थिति है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव जो तैयार किया गया है वह पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना है तैयार किया गया है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु नोटिस तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा प्रार्थना–पत्र में जो प्रथम जानकारी का कारण अंकित किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के बावजूद भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा देरी के जो कारण बताये गये है वह सद्भाविक नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जो इनके भाई मादू ने प्राप्त किये है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01से 03 की एक तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार, मसूदा तथा प्रतिवादी संख्या 05 उपपंजीयक, मसूदा ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादपत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रकरण में तकनीयात कायम नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका पर्चा तैयार किया गया उसमें भैरू व अन्य, उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के विरूद्ध (काउन्टर में)रेस्पोडेन्टस द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई के आदेश पारित किये है इसलिए न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. तत्पश्चात् पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी बाबत् पूर्व में वाद संख्या 171/2023 बउनवान दूदा वगैरह बनाम भैरू वगैरह उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी तथा इसकी जानकारी होते हुए भी नया पश्चात्वर्ती वाद प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपा कर नया वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा दिनांक 03.05.2024 के आदेश के अनुसार तहसीलदार, मसूदा को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव जो तैयार किया गया है वह पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, मसूदा के द्वारा तैयार किया गया तहसीलदार, मसूदा को प्रेषित किया गया है तथा तत्पश्चात तहसीलदार,मसूदा द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मूल हीं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को उनके पंत्राकः 1576 दिनांक 08.04.2024 को भिजवाया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार तहसीलदार, मसूदा के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस होता है जिसके तहत् प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बराबर हिस्सा मिलता है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के तहत् नहीं किया गया है तथा तहसीलदार की उपस्थिति में एव ना ही पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह केवल पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार, मसूदा को प्रेषित किया गया है तथा वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 01से 03 की एक तरफा कार्यवाही की गयी थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से पैरोकार सरकार की ओर से जवाब दावा प्राप्त नहीं किया गया, जबकि उनको जवाब दावा का अवसर दिया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 05 की विना पालना किये प्रकरण का निर्णय पारित किया है तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2024 के आदेश की अपील हाजा न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित कर दिया। उपरोक्त कारणों से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा वाद संख्या 174/2023 (2023/389) में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह इस वाद पत्र को पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र के साथ सम्मिलित (कन्सोलिडेट) कर उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री जारी होने पर उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

08/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner